न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2020 **दायर दिनांकः 11.08.2020**

उनवान

1. अनिता वैष्णव पत्नि स्व0 श्री कुलदीप उर्फ विश्वदेव रंजन जाति वैष्णव निवासी ग्राम ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र कल्याण जाति बैरागी निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भरण पोषण अधिनियम 2007

निर्णय

दिनांक 15.03.2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया अनिता वैष्णव पत्नि स्व0 कुलदीप उर्फ विश्वरंजन देव वैष्णव पुत्र श्री ओमप्रकाश वैष्णव निवासी ग्राम ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान की निवासी होकर हाल में नाकोडा कालोनी बारां में निवास करती है। मेरे पति श्री कुलदीप वैष्णव की मृत्यु करीब 11 वर्ष पूर्व एक हादसे में हो चुकी है जिससे मुझे दो नाबालिग एक पुत्री व एक पुत्र है। उनको लेकर मैं कभी ससुराल व कभी पीहर में रहकर अपने बच्चों का लालन –पालन कर अपना जीवन यापन कर रही हूॅ। मेरे पति की मृत्यु के समय मेरे एक दो वर्ष की पुत्री तथा ढाई माह का एक पुत्र था, जिनको जैसे–तैसे मेहनत मजदूरी कर पाल–पोसकर बडा किया है। वर्तमान में लडकी 13 वर्ष व लडका 10 वर्ष होकर बारां के निजि स्कूल में पढाई कर रहे है। जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है तब से मेरे ससुर ओमप्रकाश पुत्र श्री कल्याणमल मुझे आवश्यकतानुसार खर्चा नही देते है। कुछ वर्ष पूर्व ... पुलिस चौकी पर हमारा खर्च का फैसला हुआ था। जिसमें समझौते मे लिखा था कि श्री [illegible] 60000/– देना तय हुआ था। तब से लेकर अब मुझे मात्र 50000/– रूपये आपने दिये है। जो कि मेरे दोनों बच्चो की स्कूल फीस मकान किराया, मेडिकल दवा तथा रोजमर्रा की चीजे सब्जी दूध फल वगेरा भी ढंग से नही खरीद पाई हूॅ। श्रीमान जी मेरे ससुराल वालों के पास लगभग 70 बीघा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:42 IST
Reason: SelfAttested

भूमि है जिसमें से मेरे पति के हिस्से की करीब 18 बीघा भूमि मेरे बच्चों के पांती आती है एवं मेरे पति के नाम का ट्रेक्टर भी है जिसे वें स्वयं 11 वर्षों से अपने निजि काम में ले रहे है व किराये पर दे रहे है। मेरे ससुर बार–बार ही बात कहते है कि तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हे सब कुछ मिलेगा और अगर नही मानोगी तो सारी जमीन को बेच दूंगा और तुम्हे एक बीघा जमीन भी नही दूंगा। इस तरह बार–बार मुझे दबाते व धमकाते रहते हैं इन 11 वर्षों के बीच 1–2 बार मुझे नियत में खोट लगी तो मैं अपने पिता के पास चली गयी। जहां लम्बे समय तक कमर का छल्ला खिसकने के कारण लगातार कोटा व बारां इलाज कराती रही, जिसका सारा खर्चा मेरे पिता ने वहन किया है। इलाज के सारे कागजात परिवाद के साथ संलग्न है।

श्रीमान जी हाल ही में दिनांक 20.06.2020 को बच्चों की छुट्टियां बिताने गांव गई थी तो मैंने मेरे ससुर से बोला कि बच्चे बडी क्लासों में गये है तथा इनकी फीस व रहन सहन सबका खर्चा बढ गया है तथा मुझे मेडिकल व कपडे अन्य वस्तुओं की उधारी भी चुकानी है तो मुझे मेरे पति के हिस्से की जमीन दे दो जिसको में किसी को मुनाफा से जुपाकर बच्चों की ठीक से शिक्षा दीक्षा करवा पाउंगी या फिर आप ही जोत लो, उक्त जमीन का जितना रूपया बनता है वो मुझे दे दो इस पर मेरे ससुर ने कई भद्दी भद्दी गालियां दी और कहा कि खेत पर आ गई तो ट्रेक्टर से कुचलकर जान से मरवा दूंगा। श्रीमान इसी दौरान गांव के कुछ सज्जन व बुजुर्ग लोगों ने मेरे से कहा कि हम आपका समझौता मंदिर पर पंचायत बुलवाकर कर देगें। यह कहकर वो सब भी अपने–अपने घर चले गये। मेरे अधिकारों का व मेरे खर्चों का कोई फैसला नही होने से मै मानसिक संताप झेल रही हूॅ तथा बार–बार बच्चों की पढाई की चिन्ता सता रही है।

अतः श्रीमान से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मुझे विधवा अबला असहाय का ध्यान रखते हुए मुझे उचित न्याय दिलाने की कृपा करे तथा मुझे जान से मारने व धमकाने वालो पर उचित कार्यवाही करने व पाबन्द करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये नोटिस की गई, अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया कि प्रार्थीया ने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो सारहीन होने की वजह से खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया को मेरे द्वारा सन 2011 से ही मेरे द्वारा खर्चा दिया जा रहा है। उस के बावजूद भी प्रार्थीया बिना बताये ही बारां जाकर निवास करने लगी गई। प्रार्थीया ने मेरे खिलाफ पारिवारिक न्यायालय में एक दावा हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत भी पेश कर रखी है। जिसमें में उपस्थित हूॅ जिस में आगामी तारीख 20.02.2021 नियत है। आगे न्यायालय जो भी आदेश देगा उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी उस की पालना की जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:42 IST
Reason: SelfAttested

अतः श्रीमान से निवेदन है कि श्रीमान के यहां प्रार्थीया द्वारा की गई कार्यवाही एवं नोटिस को निरस्त करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण में प्रार्थीया विधवा महिला है तथा अपने 2 बच्चों के साथ जीवन व्यतित कर रही है लेकिन साथ में पत्रावली के अवलोकन से यह ध्यान में आया है कि प्रार्थीया ने पारिवारिक न्यायालय में भरण पोषण राशि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर रखी है ऐसी स्थिति में पूर्व से ही विचाराधीन भरण पोषण कार्यवाही के चलते पुनः उक्त आश्य की कार्यवाही सुनवायी योग्य नही मानी जा सकती । अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने से खारिज होने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:56:42 IST
Reason: SelfAttested